न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

(1)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/25/2019	06–08–2019	17–03–2020

1– मनोहर सिंह पुत्र गिल्लूराम जाति जाट निवासी ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1– नायब तहसीलदार रैणी, जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार रैणी नामान्तरकरण संख्या 273 वाके पिनान तहसील रैणी जिला अलवर दिनांक 10.06.1994

उपस्थितः–

01. श्री नरेश चौधरी –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 10.06.1994 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 273 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर बेजा तौर पर गलत नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। आराजी खसरा नम्बर 3926 रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर का 1/3 हिस्सा जरिये बयनामा दिनांक 24.09.1993 को मु0 इमरती बेवा पूर्ण, ओमप्रकाश, जगदीश प्रसाद, जयप्रकाश, गिर्राजप्रसाद पुत्रान् पूर्ण जाति लखेरा निवासी ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर से खरीद किया जो दिनांक 24.09.1993 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त बयनामें में मिन अपीलांट का नाम मनोहरसिंह पुत्र गिल्लूराम अंकित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय मनोहर सिंह के स्थान पर मोहर सिंह दर्ज कर दिया। जिसका पता दिनांक 19.07.2019 को हुआ, जब अपीलांट बैंक से लॉन लेने गया तो बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि जमाबंदी में आपका नाम मोहर सिंह दर्ज है। उसी दिन नकल का प्रा0पत्र पेश कर अपील दायर की गई। देरी के लिये पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया गया। अपीलांट मनोहर सिंह के नाम से परिवार राशन कार्ड व आधार कार्ड की प्रति संलग्न की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उक्त इंतकाल संख्या 273 के कॉलम नं0 9 में मोहर सिंह के स्थान पर मनोहर सिंह दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि बयनामा दिनांक 24.09.1993 में अपीलांट का नाम मनोहर सिंह

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

पुत्र गिल्लूराम जाति जाट निवासी ग्राम पिनान अंकित है तथा अन्य दस्तावेजात् के अवलोकन से भी अपीलांट का नाम मनोहर सिंह पुत्र गिल्लूराम होना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय मनोहर सिंह के स्थान पर मोहर सिंह दर्ज कर त्रुटि की है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नायब तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि इंतकाल संख्या 273 निर्णय दिनांक 10.06.1994 में अपीलांट का नाम मोहर सिंह के स्थान पर मनोहर सिंह दर्ज किया जावें।

निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार रैणी को उनके रिकॉर्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17–03–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)